न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 92/13
61/16
मीरा देवी बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी मीरा देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा के वाद संख्या– 407/13–14 में दिनांक 26.09.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल में दाखिल किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 में संशोधित निदेश कंडिका 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

विभागीय निदेश के आलोक में उभय पक्षों को नोटिश निर्गत की गई। उभय पक्ष उपस्थित। अपीलार्थी का कहना है अपीलार्थी का चयन बतौर ऑगनबाड़ी सेविका ऑगनबाड़ी केन्द्र मोहनपुर पश्चिम केन्द्र संख्या– 92 पंचायत मोहनपुर, प्रखंड परियोजना नौहट्टा, जिला सहरसा हेतु मार्ग निर्देशिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1989 में किया गया तथा प्रशिक्षणोपरान्त निर्गत चयन पत्र के आलोक में उक्त केन्द्र पर योगदान कर कार्यरत हुई, तथा तब से सही एवं सुचारू रूप से विभाग द्वारा दिए गए दिशा एवं निर्देशानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हुई केन्द्र का संचालन करती चली आ रही थी। इस दौरान पोषक क्षेत्रों के लाभुक वर्गों के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध केन्द्र संचालन से संबंधित कभी कोई शिकायत नहीं किया गया न ही किसी पदाधिकारी द्वारा पूर्व में केन्द्र के संचालन से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता ही पाया गया। अपीलार्थी लगातार 24 वर्षों से बतौर सेविका अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए सेवा–भाव से केन्द्र का संचालन करती आ रही थी। अपीलार्थी नियमित रूप से केन्द्र पर ससमय जाती थी, बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देती थी। मीनू के अनुसार पोषाहार खिलाती थी। सही रूप से टी०एच०आर० का वितरण करती थी।

अपीलार्थी का आगे कथन है विगत मार्च 2013 में पोषाहार क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के अस्वस्थ रहने के कारण पूर्णिया चली गयी, जिस वजह से पोषाहार राशि का उठाव ससमय नहीं हो पाया, जिसकी सूचना अपीलार्थी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौहट्टा को लिखित रूप में दी गई। जिसके उठाव हेतु परियोजना कार्यालय से कोई दिशा निर्देश अथवा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिस वजह से अपीलार्थी को पोषाहार राशि उपलब्ध नहीं हो पाया और राशि के अभाव में बच्चों को पोषाहार से वंचित होना पड़ा। चूँकि पूर्व के उठाव के स्टॉक में उपलब्ध राशि के अनुसार मार्च 2013 तक अपीलार्थी मुताबिक उपस्थिति के बच्चों को पोषाहार खिलाई वो मार्च 2013 में पोषाहार राशि का उठाव अध्यक्ष के नहीं रहने के कारण संभव नहीं हो सका, जिस वजह से राशि के अभाव में अप्रैल महीना में ना तो बच्चों को पोषाहार मिलना संभव हो पाया और न ही टी०एच०आर० का वितरण हुआ।

अपीलार्थी का आगे कहना है दिनांक 06.04.2013 को महिला पर्यवेक्षिका परियोजना कार्यालय, नोहट्टा द्वारा केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। केन्द्र को संचालित पाया गया। 20 बच्चे केन्द्र पर उपस्थित थे, पोषाहार उठाव नहीं रहने के कारण पोषाहार नहीं बना था तथा आवेदिका/अपीलार्थी को अनुपस्थित पाये जिस सन्दर्भ में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौहट्टा को जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 27.04.2013 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौहट्टा द्वारा दिनांक 26.04.2013 को केन्द्र का निरीक्षण किये। निरीक्षण के क्रम में सेविका केन्द्र पर उपस्थित थी। पोषाहार राशि अनुपलब्ध था, इसलिए पोषाहार यही बना था व टेक होम राशन का भी वितरण नहीं हुआ वो जिस वजह से किशोरी दिवस का आयोजन भी नहीं हुआ। इस प्रकार निरीक्षणोपरान्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वापस चले गये।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौहट्टा के पत्रांक 170 दिनांक 27.04.2013 द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा वाद संख्या– 767/13–14 दर्ज कर आदेश ज्ञापांक 1004–1 दिनांक 04.06.2013 एवं 1005–1 दिनांक

6.3.17

04.06.2013 द्वारा अपीलार्थी/आवेदिका को निर्देशित किया गया। निश्चित तिथि दिनांक 19.06.2013 को उपस्थित होकर केन्द्र के संचालन में बरती गयी उदासीनता व अनियमितताएँ के संबंध में अपना पक्ष स्पष्टीकरण दाखिल कर ताकि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय लिया जायेगा।

अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने विरूद्ध केन्द्र संचालन में लगाई गयी अनियमितता के आलोक में अपना स्पष्टीकरण दाखिल की, अपीलार्थी के द्वारा केन्द्र संचालन में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितताएँ नहीं की गई है, बल्कि पोषाहार राशि के अनुपलब्धता के कारण न तो ससमय ही टी0एच0आर0 का वितरण हो पाया ना ही बच्चों को प्रतिदिन दी जाने वाली पोषाहार खिलाया गया। जहाँ तक महिला पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांक 06.04.2013 को निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने की बात कही गयी, चूकि अपीलार्थी की लड़की जो विकलांग है व गर्भवती में थी जिसके प्रसव हाने का समय काफी नजदीक आ गया था उसे लेकर 05.04.2013 को केन्द्र का संचालन के बाद 02 बजे दिन में सहरसा डॉ0 कल्याणी सिंह से दिखाने हेतु गई थी तथा दिनांक– 04.04.2013 को वापस आई किन्तु रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जिस वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया और जब तक अपीलार्थी केन्द्र पर आई तब तक महिला पर्यवेक्षिका केन्द्र का निरीक्षण कर चली गई, जबकि आवेदिका/अपीलार्थी को केन्द्र संचालन का प्रभार देकर गई थी और केन्द्र पर उपस्थित थे इस प्रकार से अपीलार्थी के द्वारा केन्द्र का संचालन में किसी प्रकार की काई अनियमितताएँ नहीं की गयी है, लेकिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा के द्वारा नजर अंदाज करते हुए किसी भी न्यायिक विविचना किये हुए अपीलार्थी को चयन मुक्त कर दिये।

अपीलार्थी का आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विल्कुल तथ्यहीन व गैरन्यायिक आदेश है। महज महिला पर्यवेक्षिका के निरीक्षण प्रतिवेदन एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौहट्टा द्वारा प्रतिवेदित पत्रांक 170 दिनांक 27.04.2013 को वगैर तथ्यात्मक न्यायिक विवेचना किये हुए कठोरतम एवं दंडात्मक आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को चयन मुक्त कर दिया गया है, जो न्यायोचित आदेश नहीं है।

अपीलार्थी यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पत्रांक 170 दिनांक 27.04.2013 का न्यायिक दृष्टि से अवलोकन नहीं किया चूँकि वाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.13 से संशोधित मार्ग दर्शिका में वर्णित निहित प्रावधान कंडिका 10/10.7 का घोर उल्लंधन करते हुए आदेश पारित हुए अधिकार क्षेत्र से हटकर आदेशित किया गया कि सेविका आदेश के तत्काल प्रभाव से पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर पूरा प्रभार केन्द्र संख्या 98 की सेविका चित्रा कुमारी को देना सुनिश्चित करें। जबकी मार्ग दर्शिका के कंडिका 10/10.7 में प्रावधान है कि अगर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के क्रम में केन्द्र संचालन में कोई अनियमितता पाई गई तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जॉच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए चयन मुक्ति का अनुशंसा किया जायेगा। अपीलार्थी को वगैर चयन मुक्त किए हुए उसके कार्य करने से वंचित कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी निम्न न्यायालय के द्वारा चयन मुक्ति आदेश के पूर्व तक केन्द्र पर कार्यरत रही जो सर्वथा गैर कानूनी है। उक्त तथ्य को निम्न न्यायालय से नजर अंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय के समक्ष अपने विरूद्ध लगाये गए आरोपों का खंडन स्पष्टीकरण के माध्यम से रखी व निवेदन की कि वह केन्द्र के संचालन में कोई अनियमितताएँ नहीं की है। चूँकि पोषाहार राशि का निकासी बैंक के माध्यम से होता है तथा संयुक्त खाता सेविका एवं पोषाहार क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के नाम से होता है, जब तक अध्यक्ष का हस्ताक्षर निकासी फार्म पर नहीं होगा राशि का उठाव संभव नहीं है। उक्त केन्द्र की अध्यक्ष अस्वस्थ रहने के कारण पूर्णिया चली गयी जिसकी सूचना सेविका द्वारा ससमय परियोजना कार्यालय को दी गई जो तथ्य उनके जॉच प्रतिवेदन में वर्णित है। बावजूद इसके मार्च 2013 के पोषाहार राशि के उठाव के लिए परियोजना कार्यालय से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिस वजह से अप्रैल 2013 में बच्चों को पोषाहार नहीं मिला व टी0एच0आर0 का वितरण नहीं हो पाया। निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेखा कर सेविका (अपीलार्थी) को दोषी मानकर चयन मुक्त कर दिया गया, जबकि इसके लिए परियोजना कार्यालय भी जिम्मेवार है और इस प्रकार से पोषाहार वितरण व टी0एच0आर0 वितरण में अपीलार्थी के द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गइयी है। चूँकि राशि का उठाव नहीं हुआ इसलिए राशि का दुरूपयोग सेविका द्वारा नहीं की गयी है। पोषाहार के अभाव में भी बच्चे केन्द्र पर आते थे, केन्द्र संचालित था, जो

4.3.16

तथ्य महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है। अपीलार्थी के द्वारा साक्ष्य के रूप अपनी लड़की का चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है।

अंततः अपीलार्थी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा पारित चयन मुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार करने की याचना की गयी है। प्रतिपक्षी राज्य की ओर से सरकारी वकील के द्वारा कहा गया दिनांक 06.04.2013 समय 12.50 बजे ऑगनबाड़ी केन्द्र मोहनपुर का निरीक्षण श्रीमती दीप शिखा, महिला पर्यवेक्षिका द्वारा किया गया, जिसमें सेविका केन्द्र से लगातार अनुपस्थित है। सहायिका केन्द्र का संचालन कर रही है। भंडार पंजी में अंकित सामग्री उपलब्ध नहीं पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी का दलील मान्य योग्य नहीं है। अपील खारीज योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्त को सुना, अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि अधिकृत पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में अपीलार्थी के विरूद्ध केन्द्र संचालन में लापरवाही के स्पष्ट तथ्य है।

अतः अपीलार्थी के अपील को खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
4.3.17
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

4.3.17
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 432-2 विधि, सहरसा, दिनांक–09-03-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख संख्या– 467/213–14 मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
7.3.17